45/20 रामकुमारी एवं राजकुमारी बनाम सरकार राज०

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-11-2020 वकील उभयपक्ष उप०/ जबाव दावा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली दि० 24-11-2020 को पेश हो।	
24-11-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-12-2020 को पेश हो। रीडर	
8-12-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-1-2021 को पेश हो। तह० गंगापुर की रिपोर्ट संलग्न है। रीडर	
12-1-2021 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 2-2-2021 को पेश हो। रीडर	
2-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०/ तहसीलदार गंगापुर सिटी उप०/ बहस सुनी गई। ... डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली मुकम्मल होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:13 IST
Reason: SelfAttested

02.02.2021

कुमारी उर्फ राजकुमारी पत्नी विजयसिंह, राजपूत निवासी अमरगढ चौड तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

——वादिया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. रसीदा पत्नी मुर्तजा अली, मुसलमान निवासी काजी कॉलोनी, राजकीय महाविद्यालय के पास, गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री भानु कुमार सिघंल, एडवोकेट वादिया की ओर से
तहसीलदार गंगापुर सिटी, प्रतिवादी संख्या 1
श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4961 रकवा 0.91 है0 वाके ग्राम उदेई कलॉ तहत तहसील गंगापुर सिटी प्रतिवादिया संख्या 2 के पति मुर्तजा अली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। उक्त आराजी में से एक बीघा भूमि वादिया ने दिनांक 11.10.96 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। इस तरह उक्त आराजी खसरा नम्बर 4961 में से 0.25 है0 भूमि वादिया की खरीदशुदा स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। वादीया की उक्त खरीदशुदा भूमि का वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में खरीद के तुरन्त पश्चात् नामान्तकरण नही खुल पाया। वादिया द्वारा उक्त भूमि खरीदने के कुछ समय पश्चात् ही केन्द्र सरकार द्वारा दौसा गंगापुर रेल्वे लाईन की परियोजना स्वीकृत की गई। जिसमें रेल लाईन मार्ग में आने वाली भूमियो की अवांप्ति की कार्यवाही शुरू हुई। उक्त खातेदार मुर्तजा अली की उक्त खसरा नम्बर 4961 की 0.30 है0 भूमि भी उक्त रेल लाईन मार्ग हेतु अवाप्त की गई जिसका नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती कर ख0न0 6899/4961 संशोधित नम्बर डाला गया है। उक्त मुर्तजा अली की 0.02 है0 भूमि बाईपास सडक बनाने मे भी अवाप्त की गई। जिसका नक्शा ट्रेस में ख0न0 65[illegible] [illegible] डालते हुये संशोधन किया गया है। इस तरह मुर्तजा अली की उक्त खसरा नम्बर 4961 की कुल भूमि 0.91 है0 में से कुल 0.32 है0 भूमि रेल्वे विभाग द्वारा व बाईपास सडक बनाने में अवाप्त की जा चुकी है। [illegible] भूमि का मुआवजा भी उक्त खातेदार मुर्तजा अली को प्राप्त हो चुका है। इस तरह उक्त मुर्तजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं अधिशासी मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते
जिला कलेक्टर
सिटी (स0मा0)

पश्चात् ही उक्त मुर्तजा अली की मृत्यु हो गई। मुर्तजा अली के कोई सन्तान नहीं है। उसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नि प्रतिवादिया संख्या 2 रसीदा है। रसीदा ने व वादीया ने उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के बाद शेष बची भूमि रकवा 0.59 है0 का आपसी सहमति से विभाजन करना स्वीकार किया और वादिया व प्रतिवादिया संख्या 2 ने संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र उक्त आराजी खसरा नम्बर 4961 के राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने हेतु दिनांक 5.12.17 को प्रतिवादी संख्या 1 के यहां प्रस्तुत किया। जिसमें खसरा नम्बर 4961 का दक्षिणी 0.25 है0 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया तथा शेष उत्तरी हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया। जिसकी एक फोटो प्रति वादीया ने अपने पास रख ली जो वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद राजस्व अधिकारियों ने वादिया को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहे आपके प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर दी जावेगी। उक्त आश्वासन पर वादिया निश्चिंत होकर अपने गांव चली गयी तथा कुछ समय पश्चात् ही गंभीर रूप से बीमार हो गई। जिसका लम्बे समय तक इलाज चला। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पर होने वाली कार्यवाही व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं कर सकी। दिनांक 6.12.19 के राजस्थान पत्रिका के पेज नम्बर 9 पर एक अधिसूचना प्रकाशित हुई जिसमें दौसा गंगापुर सिटी नई रेल्वे लाईन हेतु भूमि अवाप्ति की विवरणी के रूप में एक सूची प्रकाशित हुई, जिसके कम संख्या 23 पर वादिया का नाम अंकित था तथा वादिया की भूमि का खसरा नम्बर 6562/4961 रकबा 0.25 है0 अंकित करते हुये 0.02 है0 भूमि रेल्वे द्वारा अवाप्त किये जाने की अधिसूचना प्रकाशित हुयी। उक्त अखबार में प्रकाशित विज्ञप्ति से वादिया को जानकारी में आया कि राजस्व अधिकारियो द्वारा वादिया की खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर दी गयी है। उसके बाद वादिया ने राजस्व रिकार्ड की नकले लेने की कार्यवाही की। जिस पर वादिया को तरमीम [illegible] नक्शा ट्रेंस की नकल दिनांक 30.12.19 को प्राप्त हुई। जिस नक्शे की नकल को देखने से ज्ञात हुआ कि राजस्व अधिकारियो ने वादिया व प्रतिवादिया संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त संयुक्त प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज करते हुये तथा मौके पर वादिया व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते

... 4961 का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा वादिया के नाम खातेदारी में दर्ज किया है तथा दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम खातेदारी में रखा है। वादिया को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर वादिया ने दिनांक ..12.20 को एक आपत्ति प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय गंगापुर सिटी के समक्ष पेश कर दिया जो विचाराधीन है। इस तरह राजस्व अधिकारीयों द्वारा वादिया व प्रतिवादिया संख्या 2 के संयुक्त प्रार्थना पत्र व मौके पर कब्जे की स्थिति के विपरीत राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम करने के कारण उक्त विज्ञप्ति में वादिया का 0.02 है0 हिस्सा उक्त रेल्वे लाईन में अवाप्त किया जाना प्रकाशित किया गया है जबकि जो 0.02 है0 भूमि रेल्वे द्वारा अवाप्त की जा रही है वह प्रतिवादिया संख्या 2 के हिस्से व कब्जे की भूमि में से है। क्योकि वादिया का तो उक्त भूमि के दक्षिणी हिस्से पर ही कब्जा चला आ रहा है। इस कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई उक्त गलती दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 4961 में वादिया का खसरा नम्बर 6562/4961 जो उत्तरी हिस्से में बताया गया है उसे दक्षिणी हिस्से में संशोधित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर इस दक्षिणी 0.25 है0 हिस्से की वादिया को खातेदार काश्तदार घोषित किये जाने योग्य है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 4961 का शेष हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम रखे जाने योग्य है। उक्त गलत दुरूस्ती के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 6562/4961 रकवा 0.25 है0 में से 0.02 है0 भूमि उक्त विज्ञप्ति के आधार पर वादिया की खातेदारी से कम करने को आमादा है। वादिया को वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी माफिक वाद पत्र मद संख्या 5 अखबार की विज्ञप्ति से दिनांक 6.12.19 को पैदा हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 4961 ग्राम उदेईकलॉ के राजस्व नक्शा ट्रेस मे से वादिया की खरीदशुदा भूमि 0.25 है0 का जो नवीन ख0न0 6562/4961 बनाया गया है कि दुरूस्ती राजस्व अधिकारियो द्वारा जो गलती से उत्तरी पश्चिमी हिस्से की ओर की है। उसे उस जगह से हटा[illegible] वादिया के उक्त ख0न0 की दुरूस्ती नक्शा ट्रेस मे वादिया व [illegible] संख्या 2 द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] अनुसार स्थान पर की जावें तथा इस हिस्से की खातेदारी वादिया के नाम घोषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी (स.मा.)

... खातेदारी से कोई रकबा कम नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार ने अपने पत्रांक राजस्व/20/2073 दिनांक 2.12.2020 में अंकित किया हैं कि प0 हल्का उदेई कलॉ स की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 6562/4961 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी राजकुमारी पत्नि विजय सिंह चौहान हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0 अमरगढ चौड तहसील गंगापुर सिटी के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 4961 रकवा 0.34 है0 की खातेदारी रसीदा बानो पत्नि स्व0 मुर्तजाअली जाति मुसलमान सा0 देह के नाम दर्ज है। जिसका वर्तमान ट्रेस में अंकन खसरा नम्बर 6562/4961 का उत्तर दिशा में तथा खसरा नम्बर 4961 का दक्षिण दिशा की ओर है तथा मौके पर राजकुमारी की भूमि खसरा नम्बर 6562/4961 दक्षिण दिशा की ओर है तथा रसीदा बानों की भूमि खसरा नम्बर 4961 उत्तर दिशा की ओर है जबकि वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक सहमति अनुसार खसरा नम्बर 6562/4961 की तरमीम दक्षिण दिशा की ओर तथा खसरा नम्बर 4961 की तरमीम उत्तर दिशा की ओर मुताबिक कब्जा अनुसार चाहते है। समर्थन में लिखित हस्ताक्षर युक्त मय ट्रेस की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। कब्जे के अनुसार वाद निर्णय कर पूर्व तरमीम को निरस्त कर नवीन तरमीम मुताबिक मौका कब्जा किया जाना उचित है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी सहमति का जबाब प्रस्तुत करते हुए वादिया का दावा डिक्री फरमाये जाने मे प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।

वाद पत्र के समर्थन में वादिया ने फोटोप्रति नकल नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 4.10.2017, फोटोप्रति प्रार्थना पत्र रामकुमारी दिनांक 5.12.2017, फोटोप्रति नकल नक्शा ट्रेस, फोटोप्रति नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता वादिया, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष एवं लैण्ड होल्डर सुनी गई।

वादिया के विद्वान वकील ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा श्रीमान तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा 4961 में वादिया की खरीदशुदा 25 एयर भूमि की नक्शा ट्रेस मे पृथक से नम्बर अंकित कर तरमीम करने हेतु निवेदन किया गया था। जिस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा नक्शे मे तरमीम तो की गई है परन्तु वादिया का जिस स्थान पर कब्जा है, उस स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:13 IST
Reason: SelfAttested

... कलेक्टर
... सिटी (स०मा०)
उप जिला कलेक्टर एवं संपदाधिकारी गंगापुर सिटी (स०मा०)
सत्यमेव जयते

पर प्रतिवादिया संख्या 2 का खसरा नम्बर अंकित कर दिया गया है जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। वादिया व प्रतिवादिया संख्या 2 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष दिनांक 5.12.17 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे अनुसार वादिया का राजस्व रिकार्ड मे व नक्शा ट्रेस में भूमि का अंकन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 के अभिभाषक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने वादिया का दावा डिक्री करने मे अनापत्ति प्रकट की है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 2 द्वारा दिनांक 5.12.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष भूमि ख0नं0 6562/4961 व 4961 की नक्शा ट्रेस में कब्जे अनुसार नजरी नक्शा प्रस्तुत करते हुए तरमीम करने का निवेदन किया गया था । नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 4.10.2017 के माध्यम से जो तरमीम की गई है वह मौका अनुसार नहीं है। पक्षकारान उनके द्वारा दिनांक 5.12.2017 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 6562/4961 व ख0नं0 4961 ग्राम उदेईकलां की वर्तमान तरमीम निरस्त कर पक्षकारों द्वारा दिनांक 5.12.2017 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:13 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)